प्रेस विज्ञप्ति
08/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय)ईडी(, इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने योगेश तिवारी और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 08/11/2024 को 78 लाख रुपये)वर्तमान बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये(की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में योगेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत झूंसी, प्रयागराज में एक घर और फूलपुर, प्रयागराज)उप्र(में एक आवासीय भूखंड शामिल है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस थाना- झूंसी, प्रयागराज द्वारा भा.दं.सं., 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत योगेश तिवारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी पीड़ितों में से एक श्री प्रभाष चंद्र गुप्ता द्वारा दर्ज की गई थी जिनकी 05 संपत्तियों को आरोपी योगेश तिवारी ने धोखाधड़ी से और बिना किसी/पूर्ण प्रतिफल के अपने नाम पर स्थानांतरित कर लिया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि योगेश तिवारी खुद को एक बड़ा व्यवसायी, प्रॉपर्टी डीलर, अच्छी पहुंच वाला व्यक्ति बताता था और बिल्डरों और नौकरशाहों के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। वह लोगों को अपने प्रभाव में लेकर उन्हें यह लालच देता था कि वह उनके निवेश पर असाधारण रूप से उच्च रिटर्न देगा और इस तरह के झूठे वादों के बहाने योगेश तिवारी भोले-भाले लोगों की संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेता था और फिर उन्हीं संपत्तियों को दूसरे लोगों को बेच देता था और अपराध की आय)पीओसी(का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करता था। मामले में कुल पीओसी 1.66 करोड़ है, जिसमें 08.11.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से 78 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

आगे की जांच जारी है।